(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 132-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 9/2015–16/अ–6.

शिवप्रसाद मीना आ0रामचन्द्र मीना
निवासी ग्राम सिलारी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती प्रेमबाई पुत्री रामचन्द्र मीना पत्नि शिवनारायण मीना
निवासी ग्राम काजलखेडी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2–श्रीमती छोटीबाई पुत्री रामचन्द्र मीना पत्नि रामफल मीना
निवासी ग्राम सोनतलाई तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री ए0पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक

श्री के0एल0मेहरा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–1993 एवं 19–2–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 25–1–2016 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23–11–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी अतः इतने अधिक विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं होने के बावजूद भी धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुये कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही संशोधन की जानकारी अनावेदक को दी गई है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय ~~न्यायालय~~ के अभिलेख से प्रथमदृष्टया ही स्पष्ट है कि संशोधन पंजी में पुत्री होने का तथ्य छुपाया गया

है । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही संशोधन की जानकारी अनावेदक को दी गई है तथा समाचार पत्र में इश्तिहार का प्रकाशन भी नहीं किया गया है, इसलिये अपील को समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

इस संबंध में 1987 आरएन 425 दिलीपबाई विरूद्ध शिवचरन तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा 47, 44 तथा 110 – समय वर्जित अपील – बिना हक के नामान्तरण – परिसीमा का वर्जन नहीं – अपील गुणदोषों पर निर्णीत करना चाहिये ।"

इसी प्रकार 1994 आरएन 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा – 5 परिसीमा का प्रश्न – आदेश अधिकारिता रहित – ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है – परिसीमा का वर्जन नहीं ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयसीमा में मान्य करने में वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.